International Journal of Applied Research 2017; 3(2): 24-32

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2017; 3(2): 24-32
www.allresearchjournal.com
Received: 07-12-2016
Accepted: 08-01-2017

डा. अर्चना गुप्ता
पूर्व शोध छात्रा, गृह विज्ञान (कृषि संकाय) महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्व विद्यालय चित्रकूट, सतना (म.प्र.)।

प्रो. जे.पी. श्रीवास्तव
प्रोफेसर, एमिरेटस प्रसार शिक्षा एवं सम्प्रेषण विभाग सियाट्स, इलाहाबाद।

Correspondence
डा. अर्चना गुप्ता
पूर्व शोध छात्रा, गृह विज्ञान (कृषि संकाय) महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्व विद्यालय चित्रकूट, सतना (म.प्र.)।

मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अध्यापकों के दृष्टिकोण का एक विश्लेषण उत्तरप्रदेश, जनपद–फतेहपुर के विशेष सन्दर्भ में

डा. अर्चना गुप्ता, प्रो. जे.पी. श्रीवास्तव

सारांश
भोजन मानव जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। भोजन का एक मात्र उद्देश्य भूख निवृत्ति ही नहीं है, बल्कि भोजन का सम्बन्ध जीवन विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे– शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भोजन शारीरिक आवश्यकताओं के साथ–साथ सामाजिक एवं संवेगात्मक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि भी करता है। आहार सुरक्षा एवं शिक्षा के अधिकार के व्यापक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए देश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के पोषाहार स्तर में सुधार एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु उनके नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि करने के उद्देश्य से केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में 'मध्यान्ह भोजन योजना' संचालित की जा रही है। मध्यान्ह भोजन योजना बच्चों के पूरक पोषण के स्रोत और उनके स्वस्थ्य विकास के रूप में कार्य करता है। यह योजना छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में सहायक है। किसी भी योजना की सफलता हेतु लोगों की सहभागिता हो, इसके लिए कार्यक्रम के प्रति उनके दृष्टिकोण के अनुकूल होने की अपेक्षा की जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के विकास खण्ड अमौली के सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 35 अध्यापकों के मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति दृष्टिकोण एवं इस कार्यक्रम में उनके द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं से सम्बन्धित है। इस शोध अध्ययन में वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध अभिकल्प का प्रयोग करते हुए समस्या की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में बहुस्तरीय संयोगिक निदर्शन तकनीकि का प्रयोग किया गया है। आँकड़ों के संकलन हेतु प्राथमिक स्रोत विशिष्ट उपकरण के रूप में प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत शोध अध्ययन में अध्यापकों के मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति दृष्टिकोण सम्बन्धी अध्ययन करने पर पाया गया कि अधिकांश अध्यापक (57.14%) इस कार्यक्रम के प्रति मध्यम स्तरीय अनुकूलता रखते हैं। अधिकांश अध्यापकों (91.42%) द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना की परिवर्तन लागत धनराशि का समय से प्राप्त न होना एवं अपर्याप्त होना, 85.71 प्रतिशत द्वारा ग्राम प्रधानों के अनावश्यक हस्तक्षेप की समस्या, 57.14 प्रतिशत द्वारा रसद आपूर्ति सम्बन्धी समस्याएँ, 54.28 प्रतिशत द्वारा फल एवं दूध की उपलब्धता की समस्या, 51.42 प्रतिशत द्वारा भण्डारण कक्ष का अभाव तथा रसोंइया मानदेय समय से प्राप्त न होने की समस्या बताई गई। इस योजना के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण उच्च स्तरीय बनाने एवं मध्यान्ह भोजन योजना के उत्कृष्ट संचालन के लिए सम्बन्धित अध्यापकों को मध्यान्ह भोजन योजना सम्बन्धी अपने प्रभावी उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु उचित मार्गदर्शन एवं सामयिक गुणवत्तापरक प्रशिक्षण दिए जाने एवं वित्तीय व्यवस्था तथा आधारिक संरचना को सुदृढ़ किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

महत्त्वपूर्ण शब्द: मध्यान्ह भोजन योजना, सामाजिक पृष्ठभूमि, दृष्टिकोण, समस्याएँ।

प्रस्तावना
प्रारम्भिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक के विकास की नींव है एवं छात्रों के भविष्य निर्धारण में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता भी है। इसके अतिरिक्त बच्चों में जीवन कौशलों के साथ गुणवत्तापरक शिक्षा की उपलब्धता एक प्रमुख लक्ष्य है, जिसकी सम्प्राप्ति की दिशा में अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसी क्रम में देश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के नामांकन में वृद्धि, विद्यालय में उनकी उपस्थिति को बढ़ाने एवं उनके पोषण स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से मध्यान्ह भोजन योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के समवेत प्रयासों से फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में संचालित की जा रही है।भारत सरकार द्वारा यह योजना 15 अगस्त सन् 1995 से केन्द्र प्रायोजित प्राथमिक शिक्षा के लिए 'राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम' (एन.पी.–एन.पी.एस.ई.) के रूप में देश के 2408 विकासखण्डों में प्राइमरी स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को पौष्टिक भोजन की उपलब्धता के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने हेतु प्रारम्भ की गई थी जिसे 1997–98 के अन्त तक देश के समस्त विकासखण्डों में लागू

किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी, सहायता प्राप्त एवं स्थानीय निकाय के प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को विद्यालय में 80 प्रतिशत उपस्थिति पर प्रतिमाह 3 किग्रा गेंहूँ या चावल देने की व्यवस्था थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2001 में जारी निर्देशों के तहत वर्ष 2004 में इस योजना में बदलाव किया गया और बच्चों को विद्यालयों में ही पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था की गई। 2002–03 में इस कार्यक्रम को 'शिक्षा गारंटी योजना' (ई.जी.एस.) तथा 'वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा' (ए.आई.ई.) केन्द्रों तक विस्तारित किया गया। 2007–08 में इस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए इसमें प्राथमिक कक्षाओं के साथ–साथ उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को भी सम्मिलित किया गया तथा इसका नाम परिवर्तित कर 'स्कूलों में राष्ट्रीय मध्यान्ह भोजन योजना' (एन.पी.–एम.डी.एम.एस.) कर दिया गया। वर्ष 2010 में 'राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना' (एन.सी. एल.पी.) के विद्यालयों को भी इस योजना के दायरे में लाया गया। इस कार्यक्रम में वर्तमान में 'सर्व शिक्षा अभियान' (एस.एस. ए.) के अन्तर्गत सरकारी, स्थानीय निकाय संचालित तथा सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूल (सहायता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों सहित) एवं ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. केन्द्रों के साथ एन.सी.एल. पी. विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी छात्र सम्मिलित हैं।

मध्यान्ह भोजन योजना का उद्देश्य भारत के निर्धन बच्चों की भूख एवं शिक्षा की समस्या का निदान करने हेतु उनके पोषण स्तर में सुधार के साथ उन्हें नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके माध्यम से लाभ वंचित वर्गों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने और कक्षा के कार्यकलापों में ध्यान केन्द्रित करने हेतु सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त ग्रीष्मावकाश के दौरान सूखा ग्रस्त क्षेत्रों के बच्चों को पोषाहार उपलब्ध कराना भी इस योजना के उद्देश्यों में शामिल है। मध्यान्ह भोजन बच्चों के लिए पूरक पोषण के स्रोत और उनके स्वस्थ्य विकास के रूप में भी कार्य करता है। यह कार्यक्रम एक प्रकार से समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी कार्य करता है क्यों कि कक्षा में विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे साथ में बैठते हैं और साथ–साथ खाना खाते हैं। इस प्रकार यह योजना स्कूल में बच्चों के मध्य जाति एवं वर्ग के अवरोध को मिटाने में सहायक है। स्कूल भागीदारी में लैंगिक अन्तराल को भी कम करने में यह कार्यक्रम सहायक हैं क्यों कि यह बालिकाओं को स्कूल जाने से रोकने वाले अवरोधों को समाप्त करने में भी सहायता करता है। मध्यान्ह भोजन योजना छात्रों के ज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास में मदद करती है। सुनिश्चित मध्यान्ह भोजन योजना को बच्चों में विभिन्न अच्छी आदतें डालने के अवसर के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। यह योजना महिलाओं को रोजगार के उपयोगी स्रोत भी प्रदान करती है। मध्यान्ह भोजन योजना स्कूल में भोजन उपलब्ध कराने की सबसे बड़ी योजना है जिसमें प्रतिदिन सरकारी, सहायता प्राप्त 11.58 लाख से भी अधिक स्कूलों के 10.8 करोड़ बच्चे सम्मिलित हैं।

उत्तर प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजनाः

प्रदेश में 1 सितम्बर 2004 से पका पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराए जाने की योजना आरम्भ कर दी गई। योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए अक्टूबर 2007 से इसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखण्डों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा अप्रैल 2008 से शेष विकासखण्डों एवं नगर क्षेत्र में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों तक विस्तारित कर दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1.83 करोड़ बच्चे तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 39 लाख बच्चे आच्छादित थे। 2015 तक इस योजना से प्रदेश के 1,14,220 प्राथमिक विद्यालयों एवं 54,166 उच्च प्राथमिक विद्यालय आच्छादित हैं। इन विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत 130.62 लाख विद्यार्थी एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 56.09 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 4 दिन चावल के बने भोज्य पदार्थ तथा 2 दिन गेहूँ से बने भोज्य पदार्थ दिए जाने की व्यवस्था की गई है। साथ ही सोमवार के मेनू में मौसमी ताजा फल एवं बुधवार के मेनू में प्रति छात्र 200 मिली. उबला हुआ गर्म दूध भी सम्मिलित किया गया है। भोजन को तैयार करने एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था हेतु वर्तमान समय में प्राथमिक स्तर पर र 4.13 प्रति छात्र प्रति दिवस (जिसमें र 1.65 राज्यांश है) तथा उच्च प्राथमिक स्तर में र 6.18 प्रति छात्र प्रति दिवस (जिसमें र 2.47 राज्यांश है) परिवर्तन लागत के रूप में उपलब्ध कराया जाता है। मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत वर्तमान में पका हुआ दोपहर का भोजन प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी ऊर्जा घटक एवं 12 ग्राम प्रोटीन घटक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी ऊर्जा घटक और 20 ग्राम प्रोटीन घटक के साथ दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन प्रति छात्र को दिए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा का विवरण निम्नवत् है–

सारिणी संख्या 1: मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत प्रतिदिन प्रति छात्र मिलने वाले पोषक तत्वों की मात्रा

क्र.सं.	मद	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		भोजन (ग्राम में)	ऊर्जा (कैलोरी में)	प्रोटीन (ग्राम में)	भोजन (ग्राम में)	ऊर्जा (कैलोरी में)	प्रोटीन (ग्राम में)
1	खाद्यान्न (गेहूँ/चावल)	100	340	8	150	510	14
2	दालें	20	70	5	30	105	6.6
3	सब्जियाँ	50	25	–	75	37	–
4	तेल एवं वसा	5	45	–	7.5	68	–
5	नमक	आवश्यकतानुसार	–	–	आवश्यकतानुसार	–	–
योग			480	13	–	720	20.6

स्रोत : mdm.nic.in

मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु अध्यापक को निम्नलिखित दायित्त्वों का पालन करना होता है– (1) प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित बच्चों की संख्या से रसोइये को अवगत कराना। (2) पके हुए भोजन को चखकर उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित कर सम्बन्धित पंजिका में सत्यापित करना। (3) विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखना तथा भोजन वितरण में स्वच्छता का ध्यान रखना। (4) सुनिश्चित करना कि बच्चों को निर्धारित मात्रा में भोजन प्राप्त हो। (5) बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य की जानकारी रखना। (6) मेनू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराना। (7) मध्यान्ह भोजन से सम्बन्धित पंजिकाओं का रख–रखाव करना।

अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि छात्रों की पोषण स्थिति में सुधार, नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, सामाजिक एवं लैंगिक समानता को लाने में मध्यान्ह भोजन योजना का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है (रॉबिन्सन 2007, खेरा 2006, कार्ट 2007, सिंह एवं गुप्ता 2015 एवं एन.पी.–एन.पी.एस.ई. 2006, ड्रेजी एवं गोयल 2003)। किसी भी कार्यक्रम की सफलता एवं असफलता के लिए समय–समय पर कार्यक्रम का मूल्यांकन भी आवश्यक है। कार्यक्रम मूल्यांकन का तात्पर्य उन परिवर्तनों को सुनिश्चित करना है जो कार्यक्रम के क्रिया–कलापों के परिणाम स्वरूप घटित हो रहे हैं, इस दृष्टि से भी यह अध्ययन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के प्रभावी एवं गुणात्मक क्रियान्वयन में अध्यापकों की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है इसलिए इस योजना की सफलता हेतु अध्यापकों की सहभागिता हो, इसके लिए कार्यक्रम के प्रति उनके दृष्टिकोण के अनुकूल होने की अपेक्षा की जाती है। अतः उपर्युक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस शोध अध्ययन की समस्या 'मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अध्यापकों के दृष्टिकोण का एक विश्लेषण' रखी गई' जिसके निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित किए गए –

1. मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अध्यापकों के दृष्टिकोण का अध्ययन।
2. मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन में अध्यापकों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का अध्ययन।

शोध प्रविधिः

प्रस्तुत शोध अध्ययन में 'वर्णनात्मक सर्वेक्षण शोध अभिकल्प' का अनुसरण किया गया है जिसमें शोधार्थी द्वारा समस्या की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत किया गया है। इस शोध अध्ययन में बहुस्तरीय संयोगिक निदर्शन तकनीकि का प्रयोग किया गया है जिसके प्रथम स्तर में जनपद फतेहपुर का उद्देश्य पूर्ण चयन किया गया, द्वितीय स्तर में फतेहपुर जनपद के विकासखण्ड– अमौली का उद्देश्यपूर्ण चयन किया गया। तृतीय स्तर में चयनित विकासखण्ड की दो न्यायपंचायतों (डिघरुवा एवं अरगल) का चयन सरल दैव निदर्शन विधि द्वारा किया गया। चतुर्थ स्तर में चयनित न्यायपंचायतों से 35 सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का चयन सरल दैव निदर्शन विधि (लॉटरी) द्वारा किया गया। पंचम स्तर में प्रत्येक चयनित विद्यालय से मध्यान्ह भोजन योजना के प्रभारी प्रधानाध्यापक/सहायक अध्यापक (35) को अध्ययन में सम्मिलित किया गया। आँकड़ों के संकलन हेतु प्राथमिक स्रोत विशिष्ट उपकरण के रूप में साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया एवं द्वितीयक समंकों का संकलन विभिन्न कार्यालयों से प्रकाशित अभिलेखों के माध्यम से किया गया। इस शोध अध्ययन में मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण के मापन हेतु रेन्सिस लाइकर्ट (1932) द्वारा प्रदत्त दृष्टिकोण मापन तकनीकि का आंशिक संशोधित रूप में प्रयोग करते हुए मध्यान्ह भोजन योजना के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित सकारात्मक/नकारात्मक कथनों की रचना की गई। इन कथनों के सापेक्ष उत्तरदाताओं की सहमति/असहमति के स्तर को तीन बिन्दुओं सहमत, अनिश्चित तथा असहमत पर मापित किया गया। सकारात्मक कथन के सम्बन्ध में सहमत, अनिश्चित तथा असहमत, प्रतिक्रिया देने वाले उत्तदाताओं को क्रमशः 3, 2 और 1 अंक प्रदान किए गए। इसके विपरीत नकारात्मक कथन के सम्बन्ध में सहमत, अनिश्चित तथा असहमत प्रतिक्रिया देने वाले उत्तदाताओं को क्रमशः 1, 2 और 3 अंक प्रदान किए गए। तदोपरान्त प्राप्तांकों के आधार पर उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण के स्तर को 3 भागों में विभक्त किया गया अल्पतम अनुकूल, मध्यम अनुकूल एवं अत्यधिक अनुकूल। इस शोध अध्ययन में महत्त्वपूर्ण प्रणालियों वर्गीकरण तथा सारणीयन सांख्यिकीय विश्लेषण का प्रयोग किया गया है एवं सम्पूर्ण तथ्यों को प्रतिशत के आधार पर विवेचित किया गया है।

परिणाम एवं परिचर्चाः

मानव व्यवहार उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार होता है। अतः उत्तरदाताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि का अध्ययन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, जिसका विश्लेषण निम्नवत है –

सारिणी संख्या 2: सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण N= 35

क्र.सं.	चर	विशेषताएँ	संख्या	प्रतिशत
1	उम्र	1 युवावस्था (33 से 42 वर्ष)	18	51.43
		2 मध्यावस्था (42 से 51 वर्ष)	11	31.43
		3 प्रौढ़ावस्था (51 से 60 वर्ष)	06	17.14
		योग	35	100.00
2	शिक्षा	1 इण्टर मीडिएट	02	05.71
		2 स्नातक	10	28.57
		3 परास्नातक	23	65.72
		योग	35	100.00
3	जाति	1 अनुसूचित जाति/जनजाति	09	25.71
		2 अन्य पिछड़ा वर्ग	16	45.72
		3 सामान्य जाति	10	28.57
		योग	35	100.00
4	कार्यानुभव	1 10 वर्ष से कम	12	34.29
		2 10 वर्ष से 20 वर्ष	21	60.00
		3 20 वर्ष व अधिक	02	05.71
		योग	35	100.00
5	लिंग	1 पुरुष	22	62.86
		2 महिला	13	37.14
		योग	35	100.00

सारिणी संख्या 2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता (51.43%) युवावस्था (33 से 42 वर्ष) के हैं। 65.72 प्रतिशत उत्तरदाता परास्नातक, 45.72 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के, 60.00 प्रतिशत 10 से 20 वर्ष का कार्यनुभव रखने वाले एवं 62.86 प्रतिशत पुरुष हैं।

सारिणी संख्या 3: उत्तरदाताओं के सूचना स्रोत N= 35

क्र.सं.	संचार माध्यम	नियमित		कभी–कभी		कभी नहीं	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	खण्ड शिक्षा अधिकारी	07	20.00	23	65.71	05	14.29
2	ए.बी.आर.सी.	07	20.00	24	68.57	04	11.43
3	एन.पी.आर.सी.	30	85.71	05	14.29	00	00.00

सारिणी संख्या 3 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को नियमित, 65.71 प्रतिशत को कभी–कभी जब कि 14.29 प्रतिशत को कोई सूचना नहीं मिलती है। ए.बी.आर.सी. द्वारा 20.00 प्रतिशत उत्तरदाताओं को नियमित, 68.57 प्रतिशत को कभी–कभी जब कि 11.43 प्रतिशत को कोई सूचना नहीं मिलती है। एन.पी.आर.सी. द्वारा 85. 71 प्रतिशत उत्तरदाताओं को नियमित एवं 14.29 प्रतिशत को कभी–कभी सूचना मिलती है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (85.71%) को एन.पी.आर. सी. द्वारा नियमित सूचनाएँ प्राप्त होती हैं।

सारिणी संख्या 4: मध्यान्ह भोजन योजना के समुचित संचालन हेतु विद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएँ N= 35

क्र.सं.	सुविधाएँ	हाँ		नहीं	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	रसोईं घर	27	77.14	08	22.86
2	गैस चूल्हा एवं सिलेण्डर	33	94.29	02	05.71
3	हैण्डपम्प अथवा स्वच्छ जल की व्यवस्था	28	80.00	07	20.00
4	खाना पकाने एवं भण्डारण हेतु बर्तन	32	91.43	03	08.57
5	मानक के अनुरूप रसोंइए की व्यवस्था	33	94.29	02	05.71

सारिणी संख्या 4 के अवलोकन से स्पष्ट है कि 77.14 प्रतिशत विद्यालयों में रसोई घर की व्यवस्था पाई गई जिसकी पुष्टि ए. एस.ई.आर. (2010) के अध्ययन से होती है। 94.29 प्रतिशत में गैस चूल्हा एवं सिलेण्डर, 80.00 प्रतिशत में हैण्डपम्प अथवा स्वच्छ जल की व्यवस्था, 91.43 प्रतिशत में खाना पकाने एवं भण्डारण हेतु बर्तन एवं 94.29 प्रतिशत में मानक के अनुरूप रसोंइयों की व्यवस्था पाई गई।

उत्तरदताओं के दृष्टिकोण का स्तरः

दृष्टिकोण किसी वस्तु की ओर कार्य करने का, सोचने का तथा अनुभव करने का उसका पूर्ण विन्यास है (न्यूकाम्ब)। दृष्टिकोण का सम्बन्ध हमारी भावनाओं से है तथा इसका आधार ज्ञान ही होता है। बिना ज्ञान के किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या कार्यक्रम के बारे में हमारा कोई दृष्टिकोण नहीं हो सकता। दृष्टिकोण का हमारे जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसी से हमारा स्वभाव निर्मित होता है और विशेष परिस्थितियों में कैसा आचरण और व्यवहार करना चाहिए इसकी प्रेरणा मिलती है। अतः इस शोध अध्ययन में दृष्टिकोण के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण निम्नवत हैः–

सारिणी संख्या 5: मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण N= 35

क्र. सं.	कथन	सहमति/असहमति का स्तर			योग
		सहमत	अनिश्चित	असहमत	
1	मध्यान्ह भोजन योजना एक कल्याणकारी योजना है।	27 (77.14)	03 (08.57)	05 (14.29)	35 (100.00)
2	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्र अपना ध्यान पढ़ाई पर केन्द्रित नहीं कर पाते हैं।	14 (40.00)	05 (14.29)	16 (45.71)	35 (100.00)
3	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है।	13 (37.14)	05 (14.29)	17 (48.57)	35 (100.00)
4	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण विद्यालय में समय–सारिणी के अनुरूप कक्षाएँ संचालित नहीं हो पाती हैं।	16 (45.71)	03 (08.57)	16 (45.72)	35 (100.00)
5	मध्यान्ह भोजन योजना से छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है।	21 (60.00)	04 (11.43)	10 (28.57)	35 (100.00)
6	ग्रीष्मावकाश के दौरान सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना प्रभावी नहीं है।	25 (71.43)	01 (02.86)	09 (25.71)	35 (100.00)
7	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है।	14 (40.00)	03 (08.57)	18 (51.43)	35 (100.00)
8	मध्यान्ह भोजन योजना अध्यापकों पर एक अतिरिक्त बोझ है।	31 (88.57)	02 (05.71)	02 (05.72)	35 (100.00)
9	मध्यान्ह भोजन योजना से अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्र अधिक लाभन्वित होते हैं।	21 (60.00)	04 (11.43)	10 (28.57)	35 (100.00)
10	शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट का एक मुख्य कारण मध्यान्ह भोजन योजना	23	02	10	35

	है।	(65.71)	(05.72)	(28.57)	(100.00)
11	मध्यान्ह भोजन योजना से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलता है।	09 (25.71)	09 (25.72)	17 (48.57)	35 (100.00)
12	मध्यान्ह भोजन योजना में व्यस्तता के कारण अध्यापक सुचारू रूप से शिक्षण कार्य नहीं कर पाते हैं।	28 (80.00)	01 (02.86)	06 (17.14)	35 (100.00)
13	मध्यान्ह भोजन योजना छात्रों के सामाजीकरण में सहायक है।	28 (80.00)	01 (02.86)	06 (17.14)	35 (100.00)
14	मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले भोजन की मात्रा अपर्याप्त है।	14 (40.00)	01 (02.86)	20 (57.14)	35 (100.00)
15	मध्यान्ह भोजन योजना छात्रों के कुपोषण उन्मूलन में सहायक है।	23 (65.71)	08 (22.86)	04 (11.43)	35 (100.00)
16	मध्यान्ह भोजन योजना समय की बरबादी है।	25 (71.43)	04 (11.43)	06 (17.14)	35 (100.00)
17	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण सामाजिक समता की स्थितियाँ बेहतर हुई हैं।	17 (48.57)	03 (08.57)	15 (42.86)	35 (100.00)
18	मध्यान्ह भोजन योजना से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है।	15 (42.86)	05 (14.28)	15 (42.86)	35 (100.00)
19	मध्यान्ह भोजन योजना रसोंइयों के रूप में महिलाओं को रोजगार प्रदान कर महिला सशक्तीकरण में सहायक है।	31 (88.57)	02 (05.71)	02 (05.72)	35 (100.00)
20	मध्यान्ह भोजन योजना की व्यवस्था के कारण प्रायः अध्यापक विलम्ब से विद्यालय आते हैं।	15 (42.86)	03 (08.57)	17 (48.57)	35 (100.00)
21	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्रों में स्वच्छता सम्बन्धी अच्छी आदतों को बढ़ावा मिलता है।	33 (94.28)	01 (02.86)	01 (02.86)	35 (100.00)
22	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण खाद्य अपव्यय होता है।	10 (28.57)	03 (08.57)	22 (62.86)	35 (100.00)
23	मध्यान्ह भोजन योजना के समुचित क्रियान्वयन में विद्यालय प्रबन्ध समिति का सहयोग प्राप्त होता है।	20 (57.14)	08 (22.86)	07 (20.00)	35 (100.00)
24	मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली परिवर्तन व्यय लागत अपर्याप्त होती है।	27 (77.14)	02 (05.72)	06 (17.14)	35 (100.00)
25	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्रों के भूखे पेट पढ़ाई करने की स्थितियों में सुधार हुआ है।	33 (94.28)	01 (02.86)	01 (02.86)	35 (100.00)
26	मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत कोटेदार द्वारा दिया जाने वाला अनाज निम्न गुणवत्ता वाला होता है।	19 (54.29)	05 (14.28)	11 (31.43)	35 (100.00)
27	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्रों के ठहराव (पूरे समय स्कूल में रुकना) में वृद्धि हुई है।	28 (80.00)	01 (02.86)	06 (17.14)	35 (100.00)
28	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण विद्यालय प्रांगण में गंदगी फैलती है।	08 (22.86)	02 (05.71)	25 (71.43)	35 (100.00)
29	देश की साक्षरता दर बढ़ाने में मध्यान्ह भोजन योजना ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।	22 (62.86)	04 (11.43)	09 (25.71)	35 (100.00)
30	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण विद्यालयों में ग्राम प्रधानों के अनावश्यक हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलता है।	30 (85.71)	02 (05.72)	03 (08.57)	35 (100.00)
31	मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत तैयार भोजन छात्रों को रुचिकर एवं स्वादिष्ट लगता है।	31 (88.57)	01 (02.86)	03 (08.57)	35 (100.00)
32	मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय में किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को नियुक्त करना उचित है।	32 (91.43)	01 (02.86)	02 (05.71)	35 (100.00)
33	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्रों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में वृद्धि होती है।	16 (45.72)	06 (17.14)	13 (37.14)	35 (100.00)
34	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्रों को मध्यावकाश में खेलने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है।	28 (80.00)	01 (02.86)	06 (17.14)	35 (100.00)
35	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्रों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की स्थितियों में सुधार हुआ हैं।	21 (60.00)	03 (08.57)	11 (31.43)	35 (100.00)
36	मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु अध्यापक स्वयं इच्छुक नहीं हैं।	28 (80.00)	02 (05.71)	05 (14.29)	35 (100.00)
37	मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत छात्रों को गुणवत्तापरक भोजन दिया जाता है।	31 (88.57)	03 (08.57)	01 (02.86)	35 (100.00)
38	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण सरकारी विद्यालयों के प्रति उच्च आर्थिक स्तर के लोगों दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है।	23 (82.86)	03 (08.57)	03 (08.57)	35 (100.00)

39	मध्यान्ह भोजन योजना का समय–समय पर मूल्यांकन होता रहता है।	32 (91.43)	01 (02.86)	02 (05.71)	35 (100.00)
40	मध्यान्ह भोजन योजना से अध्यापकों को मुक्त रखा जाना चाहिए।	33 (94.29)	01 (02.85)	01 (02.86)	35 (100.00)
41	मध्यान्ह भोजन योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु विद्यालय स्तर पर समस्त आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं।	19 (54.29)	02 (05.71)	14 (40.00)	35 (100.00)
42	मध्यान्ह भोजन योजना के तहत अध्यापकों द्वारा नियमित भोजन चखकर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जाती है।	04 (11.43)	01 (02.86)	30 (85.71)	35 (100.00)
43	मध्यान्ह भोजन योजना से छात्रों के शैक्षणिक स्तर में सुधार हुआ है।	06 (17.14)	12 (34.29)	17 (48.57)	35 (100.00)
44	मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित पंजिकाओं एवं अभिलेखों का रख–रखाव एक समस्या है।	17 (48.57)	05 (14.29)	13 (37.14)	35 (100.00)
45	मध्यान्ह भोजन योजना लिंग भेद–भाव को कम करने में सहायक होती है।	26 (74.28)	04 (11.43)	05 (14.29)	35 (100.00)
46	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण अध्यापक प्रायः तनाव व अवसाद की स्थिति में रहते हैं।	27 (77.14)	06 (17.14)	02 (05.72)	35 (100.00)
47	मध्यान्ह भोजन योजना के तहत अध्यापकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चों को निर्धारित मात्रा में भोजन प्राप्त होता है।	29 (82.86)	04 (11.43)	02 (05.71)	35 (100.00)
48	मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन प्रायः निर्धारित मेनू के अनुरूप नहीं होता है।	04 (11.43)	01 (02.86)	30 (85.71)	35 (100.00)
49	मध्यान्ह भोजन योजना शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रभावशाली है।	27 (77.14)	02 (05.72)	06 (17.14)	35 (100.00)
50	मध्यान्ह भोजन योजना के कारण विद्यालय में अनेक विवाद होते हैं।	22 (62.86)	06 (17.14)	07 (20.00)	35 (100.00)
51	मध्यान्ह भोजन योजना का छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है।	23 (65.72)	06 (17.14)	06 (17.14)	35 (100.00)
52	मध्यान्ह भोजन योजना का छात्रों के मानसिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है।	07 (20.00)	10 (28.57)	18 (51.43)	35 (100.00)
53	मध्यान्ह भोजन योजना का मेनू पोषण की दृष्टि से उचित है।	29 (82.86)	02 (05.71)	04 (11.43)	35 (100.00)
54	मध्यान्ह भोजन योजना को बन्द करना उचित है।	21 (60.00)	05 (14.29)	09 (25.71)	35 (100.00)
55	मध्यान्ह भोजन योजना जाति एवं वर्ग के अवरोध को मिटाने में सहायक है।	24 (68.57)	05 (14.29)	06 (17.14)	35 (100.00)

सारिणी संख्या 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कथन 1 मध्यान्ह भोजन योजना एक कल्याणकारी योजना है, के प्रति 77.14 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 2 मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्र अपना ध्यान पढ़ाई पर केन्द्रित नहीं कर पाते हैं, के प्रति 45.71 प्रतिशत उत्तरदाता असहमत पाए गए। कथन 3 मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है, के सम्बन्ध में 48.57 प्रतिशत उत्तरदाता असहमत पाए गए। कथन 4 मध्यान्ह भोजन योजना के कारण विद्यालय में समय–सारिणी के अनुरूप कक्षाएँ संचालित नहीं हो पाती हैं, के सम्बन्ध में 45.71 प्रतिशत सहमत एवं 45.72 प्रतिशत असहमत पाए गए। कथन 5 मध्यान्ह भोजन योजना से छात्रों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, के सम्बन्ध में 60.00 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 6 ग्रीष्मावकाश के दौरान सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना प्रभावी नहीं है, के सम्बन्ध में 71. 43 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 7 मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है, के सम्बन्ध में 51.43 प्रतिशत उत्तरदाता असहमत पाए गए। कथन 8 मध्यान्ह भोजन योजना अध्यापकों पर एक अतिरिक्त बोझ है, के सम्बन्ध में 88.57 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 9 मध्यान्ह भोजन योजना से अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्र अधिक लाभन्वित होते हैं, के सम्बन्ध में 60.00 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए इसी प्रकार के परिणाम शाह एवं मेहता तथा मकवाना एवं कारकर (2007) ने भी अपने अध्ययनों में ज्ञापित किए हैं। कथन 10 शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट का एक मुख्य कारण मध्यान्ह भोजन योजना है, के सम्बन्ध में 65.71 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 11 मध्यान्ह भोजन योजना से बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, के सम्बन्ध में 48.57 प्रतिशत उत्तरदाता असहमत पाए गए। कथन 12 मध्यान्ह भोजन योजना में व्यस्तता के कारण अध्यापक सुचारू रूप से शिक्षण कार्य नहीं कर पाते हैं, के सम्बन्ध में 80.00 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 13 मध्यान्ह भोजन योजना छात्रों के सामाजीकरण में सहायक है, के सम्बन्ध में 80 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 14 मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले भोजन की मात्रा अपर्याप्त है, के सम्बन्ध में 57.14 प्रतिशत उत्तरदाता असहमत पाए गए। कथन 15 मध्यान्ह भोजन योजना छात्रों के कुपोषण उन्मूलन में सहायक है, के सम्बन्ध में 65.71 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 16 मध्यान्ह भोजन योजना समय की बरबादी है, के सम्बन्ध में 71.43 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 17 मध्यान्ह भोजन योजना के कारण सामाजिक समता की स्थितियाँ बेहतर हुई हैं, के सम्बन्ध में 48.57 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए इसी प्रकार के परिणाम योजना आयोग (2010) के अध्ययन में भी ज्ञापित किए गए हैं। कथन 18 मध्यान्ह भोजन योजना से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, के सम्बन्ध में 42.86 प्रतिशत सहमत एवं असहमत पाए गए। कथन 19 मध्यान्ह भोजन योजना रसोंइयों के रूप में महिलाओं को रोजगार प्रदान कर महिला सशक्तीकरण में

सहायक है, के सम्बन्ध में 88.57 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 20 मध्यान्ह भोजन योजना की व्यवस्था के कारण प्रायः अध्यापक विलम्ब से विद्यालय आते हैं, के सम्बन्ध में 48.57 प्रतिशत उत्तरदाता असहमत पाए गए। कथन 21 मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्रों में स्वच्छता सम्बन्धी अच्छी आदतों को बढ़ावा मिलता है, के सम्बन्ध में 94.28 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 22 मध्यान्ह भोजन योजना के कारण खाद्य अपव्यय होता है, के सम्बन्ध में 62.86 प्रतिशत उत्तरदाता असहमत पाए गए। कथन 23 मध्यान्ह भोजन योजना के समुचित क्रियान्वयन में विद्यालय प्रबन्ध समिति का सहयोग प्राप्त होता है, के सम्बन्ध में 57.14 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 24 मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जाने वाली परिवर्तन व्यय लागत अपर्याप्त होती है, के सम्बन्ध में 77.14 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 25 मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्रों के भूखे पेट पढ़ाई करने की स्थितियों में सुधार हुआ है, के सम्बन्ध में 94.28 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। जिसकी पुष्टि सरकार एवं भट्टाचार्य (2015) के अध्ययन से भी होती है। कथन 26 मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत कोटेदार द्वारा दिया जाने वाला अनाज निम्न गुणवत्ता वाला होता है, के सम्बन्ध में 54.29 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 27 मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्रों के ठहराव (पूरे समय स्कूल में रुकना) में वृद्धि हुई है, के सम्बन्ध में 80.00 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 28 मध्यान्ह भोजन योजना के कारण विद्यालय प्रांगण में गंदगी फैलती है, के सम्बन्ध में 71.43 प्रतिशत उत्तरदाता असहमत पाए गए। कथन 29 देश की साक्षरता दर बढ़ाने में मध्यान्ह भोजन योजना ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, के सम्बन्ध में 62.86 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 30 मध्यान्ह भोजन योजना के कारण विद्यालयों में ग्राम प्रधानों के अनावश्यक हस्तक्षेप को बढ़ावा मिलता है, के सम्बन्ध में 85.71 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 31 मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत तैयार भोजन छात्रों को रुचिकर एवं स्वादिष्ट लगता है, के सम्बन्ध में 88.57 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 32 मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु विद्यालय में किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को नियुक्त करना उचित है, के सम्बन्ध में 91.43 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 33 मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्रों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में वृद्धि होती है, के सम्बन्ध में 45.72 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 34 मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्रों को मध्यावकाश में खेलने का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, के सम्बन्ध में 80.00 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 35 मध्यान्ह भोजन योजना के कारण छात्रों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की स्थितियों में सुधार हुआ हैं, के सम्बन्ध में 60.00 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 36 मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन हेतु अध्यापक स्वयं इच्छुक नहीं हैं, के सम्बन्ध में 80.00 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 37 मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत छात्रों को गुणवत्तापरक भोजन दिया जाता है, के सम्बन्ध में 88.57 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 38 मध्यान्ह भोजन योजना के कारण सरकारी विद्यालयों के प्रति उच्च आर्थिक स्तर के लोगों दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है, के सम्बन्ध में 82.86 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 39 मध्यान्ह भोजन योजना का समय–समय पर मूल्यांकन होता रहता है, के सम्बन्ध में 91.43 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 40 मध्यान्ह भोजन योजना से अध्यापकों को मुक्त रखा जाना चाहिए, के सम्बन्ध में 94.29 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 41 मध्यान्ह भोजन योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु विद्यालय स्तर पर समस्त आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं, के सम्बन्ध में 54.29 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 42 मध्यान्ह भोजन योजना के तहत अध्यापकों द्वारा नियमित भोजन चखकर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जाती है, के सम्बन्ध में 85.71 प्रतिशत उत्तरदाता असहमत पाए गए। कथन 43 मध्यान्ह भोजन योजना से छात्रों के शैक्षणिक स्तर में सुधार हुआ है, के सम्बन्ध में 48.57 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 44 मध्यान्ह भोजन योजना से सम्बन्धित पंजिकाओं एवं अभिलेखों का रख–रखाव एक समस्या है, के सम्बन्ध में 48.57 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 45 मध्यान्ह भोजन योजना लिंग भेद–भाव को कम करने में सहायक होती है, के सम्बन्ध में 74.28 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 46 मध्यान्ह भोजन योजना के कारण अध्यापक प्रायः तनाव व अवसाद की स्थिति में रहते हैं, के सम्बन्ध में 77.14 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 47 मध्यान्ह भोजन योजना के तहत अध्यापकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चों को निर्धारित मात्रा में भोजन प्राप्त होता है, के सम्बन्ध में 82.86 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 48 मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन प्रायः निर्धारित मेनू के अनुरूप नहीं होता है, के सम्बन्ध में 85.71 प्रतिशत उत्तरदाता असहमत पाए गए। कथन 49 मध्यान्ह भोजन योजना शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रभावशाली है, के सम्बन्ध में 77.14 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 50 मध्यान्ह भोजन योजना के कारण विद्यालय में अनेक विवाद होते हैं, के सम्बन्ध में 62.86 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 51 मध्यान्ह भोजन योजना का छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है, के सम्बन्ध में 65.72 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 52 मध्यान्ह भोजन योजना का छात्रों के मानसिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है, के सम्बन्ध में 51.43 प्रतिशत उत्तरदाता असहमत पाए गए। कथन 53 मध्यान्ह भोजन योजना का मेनू पोषण की दृष्टि से उचित है, के सम्बन्ध में 82.86 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 54 मध्यान्ह भोजन योजना को बन्द करना उचित है, के सम्बन्ध में 60.00 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए। कथन 55 मध्यान्ह भोजन योजना जाति एवं वर्ग के अवरोध को मिटाने में सहायक है, के सम्बन्ध में 68.57 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत पाए गए।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यद्यपि मध्यान्ह भोजन योजना को अधिकांश उत्तरदाताओं (77.14%) द्वारा एक कल्याणकारी योजना माना गया है एवं इसके अनेक सकारात्मक प्रभावों के सापेक्ष अपनी सहमति व्यक्त की गई है तथापि कुछ सीमाओं जैसे– मध्यान्ह भोजन योजना में व्यस्तता से शिक्षण कार्य बाधित होने, मानक के अनुरूप विद्यालयों में पर्याप्त अध्यापक न होने, आधारिक संरचना सम्बन्धित समस्याओं, मध्यान्ह भोजन योजना सम्बन्धी विभिन्न मदों की धनराशि समय से न उपलब्ध होने, अग्रिम रूप में न मिलने, अपर्याप्त धनराशि प्राप्त होने, ग्राम प्रधानों के अनावश्यक हस्तक्षेप आदि कारणों से अधिकांश उत्तरदाताओं की सहमति कथन– 8, 10, 12, 16, 32, 34, 36, 38, 40, 46, 50 एवं 54 के प्रति नकारात्मक पाई गई। जिस से कुछ हद तक अध्यापकों में नैतिकता एवं सेवा भाव की कमी तथा निजी स्वार्थ जैसे पक्षों की भी पुष्टि होती है, जो कि अध्यापकों के व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह है। अतः सम्बन्धित अध्यापकों को मध्यान्ह भोजन योजना सम्बन्धी अपने प्रभावी उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु उचित मार्गदर्शन एवं सामयिक गुणवत्तापरक प्रशिक्षण दिए जाने एवं मध्यान्ह भोजन योजना के उत्कृष्ट संचालन हेतु शासन से नियमित अग्रिम धनराशि खातों में उपलब्ध कराए जाने की अनुशंसा की जाती है।

समस्त कथनों में दिए गए प्राप्तांकों के आधार पर मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति उत्तरदाताओं के दृष्टिकोण का स्तर निम्नवत है

सारिणी संख्या 6: मध्यान्ह भोजन योजना के समस्त कथनों के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण N= 35

क्र.सं.	दृष्टिकोण का स्तर	संख्या	प्रतिशत
1	अल्पतम अनुकूल (86 से 105)	06	17.14
2	मध्यम अनुकूल (105 से 124)	20	57.14
3	अत्यधिक अनुकूल (124 व अधिक)	09	25.72
योग		35	100.00

सारिणी संख्या 6 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति सर्वाधिक उत्तरदाता (57.14%) मध्यम अनुकूलता, 25.72 प्रतिशत अत्यधिक अनुकूलता एवं 17.14 प्रतिशत अल्पतम अनुकूलता रखते हैं। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति अधिकांश उत्तरदाता (57.14%) मध्यम स्तरीय अनुकूलता रखते हैं। अन्य अनेक अध्ययनों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि प्रधानाध्यापक मध्यान्ह भोजन योजना के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं (जी.सी.ई.आर.टी. 2007)।

सारिणी संख्या 7: मध्यान्ह भोजन योजना के समुचित क्रियान्वयन में उत्तरदाताओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएँ N= 35

क्र.सं.	समस्याएँ	संख्या	प्रतिशत	श्रेणी
1	परिवर्तन लागत धनराशि का समय से प्राप्त न होना एवं अपर्याप्त होना।	32	91.42	I
2	ग्राम प्रधानों के अनावश्यक हस्तक्षेप की समस्या	30	85.71	II
3	रसद आपूर्ति सम्बन्धी समस्याएँ	20	57.14	III
4	फल एवं दूध की उपलब्धता की समस्याएँ	19	54.28	IV
5	भण्डारण कक्ष का अभाव	18	51.42	V
6	रसोंइया मानदेय समय से प्राप्त न होना एवं अपर्याप्त होना	18	51.42	VI
7	छात्रों हेतु भोजन खाने के बर्तन न होना	17	48.57	VII
8	फल वितरण की धनराशि अत्यन्त कम होना	14	40.00	VIII
9	स्वच्छ पेयजल की समस्या	07	20.00	IX
10	गैस सिलेण्डर भरवाए जाने की समस्या	07	20.00	X

सारिणी संख्या 7 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (91.42%) द्वारा परिवर्तन लागत धनराशि का समय से प्राप्त न होना एवं अपर्याप्त होना, 85.71 प्रतिशत द्वारा ग्राम प्रधानों के अनावश्यक हस्तक्षेप की समस्या, 57.14 प्रतिशत द्वारा रसद आपूर्ति सम्बन्धी समस्याएँ, 54.28 प्रतिशत द्वारा फल एवं दूध की उपलब्धता की समस्या, 51.42 प्रतिशत द्वारा भण्डारण कक्ष का अभाव तथा रसोंइया मानदेय समय से प्राप्त न होने की समस्या, 48.57 प्रतिशत द्वारा छात्रों हेतु भोजन खाने के बर्तन न होना, 40. 00 प्रतिशत द्वारा फल वितरण की धनराशि अत्यन्त कम होना एवं 20.00 प्रतिशत द्वारा स्वच्छ पेयजल की समस्या एवं गैस सिलेण्डर भरवाए जाने की समस्याओं से क्रियाकलाप बाधित होने के कारण बताए गए हैं। जिसकी पुष्टि नामवियर एवं देसाई (2013) के शोध परिणामों से भी होती है।

सुझाव

यद्यपि मध्यान्ह भोजन योजना के अनेक सकारात्मक प्रभाव है, परन्तु अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि यह योजना अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्यों बच्चों के पोषाहार स्तर में सुधार एवं गुणवत्ता परक शिक्षा हेतु उनके नामांकन एवं उपस्थिति में वृद्धि, की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकी है (करुणाकरण एवं कृष्णाचारी 2015)। अतः प्राप्त परिणामों के आधार पर मध्यान्ह भोजन योजना को बेहतर बनाने एवं इस योजना के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण उच्च स्तरीय बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं:–

1. प्रधानाध्यापकों को मध्यान्ह भोजन योजना सम्बन्धी अपने प्रभावी उत्तरदायित्वों के निवर्हन हेतु उचित मार्गदर्शन एवं सामयिक गुणवत्ता परक प्रशिक्षण दिया जाए।
2. विद्यालयों में शिक्षण कार्य बाधित न हो इसके लिए पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था की जाए।
3. परिवर्तन व्यय लागत, रसोंइया मानदेय तथा सम्बन्धित अन्य मदों हेतु नियमित, पर्याप्त अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराई जाए।
4. बुनियादी सुविधाओं जैसे– रसोंई घर, भण्डार गृह, जल व्यवस्था, गैस कनेक्शन आदि की सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए।
5. दूध एवं फल वितरण की व्यवस्था में सुधार हेतु डिब्बा बन्द दूध एवं फल वितरण की धनराशि में वृद्धि पर विचार किए जाने की आवश्यकता है।
6. बच्चों को मध्यावकाश के दरम्यान पर्याप्त खेलने का समय मिल सके इसलिये मध्यावकाश 30 मिनट से बढ़ाकर 45 मिनट कर दिया जाए।
7. ग्राम प्रधानों के हस्तक्षेप को कम करने हेतु मध्यान्ह भोजन योजना के खातों को एकल कर दिया जाए अथवा सह खातेदार किसी अन्य को बनाया जाए।
8. किसी भी स्थिति में शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षण कार्य प्रभावित न हो इसके लिए गैर सरकारी संस्थाएँ, स्थानीय समुदाय एवं सक्रिय समाज कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए (वर्मा 2013)।
9. मध्यान्ह भोजन योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन, शिक्षा की गुणवत्ता एवं शिक्षण समय को ध्यान में रखते हुए गुजरात मॉडल का अनुसरण किया जाए, जिसके अन्तर्गत तीन व्यक्तियों एक आयोजक, एक रसोंइया तथा एक सहायक का प्रावधान है (साही 2014)।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाता (51.43%) युवावस्था (33 से 42 वर्ष) के, 65.72 प्रतिशत उत्तरदाता परास्नातक, 45.72 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के, 60.00 प्रतिशत 10 से 20 वर्ष का कार्यनुभव रखने वाले एवं 62.86 प्रतिशत पुरुष अध्यापक पाए गए। अधिकांश उत्तरदाताओं (85.71%) को एन.पी.आर.सी. द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना सम्बन्धी सूचनाएँ नियमित प्राप्त होती हैं। अधिकांश अध्यापक (57. 14%) इस कार्यक्रम के प्रति मध्यम स्तरीय अनुकूलता रखते हैं।

अधिकांश अध्यापकों (91.42%) द्वारा मध्यान्ह भोजन योजना की परिवर्तन लागत धनराशि का समय से प्राप्त न होना एवं अपर्याप्त होना, 85.71 प्रतिशत द्वारा ग्राम प्रधानों के अनावश्यक हस्तक्षेप की समस्या, 57.14 प्रतिशत द्वारा रसद आपूर्ति सम्बन्धी समस्याएँ, 54.28 प्रतिशत द्वारा फल एवं दूध की उपलब्धता की समस्या, 51. 42 प्रतिशत द्वारा भण्डारण कक्ष का अभाव तथा रसोंइया मानदेय समय से प्राप्त न होने की समस्या बताई गई। इस योजना के प्रति अध्यापकों का दृष्टिकोण उच्च स्तरीय बनाने एवं मध्यान्ह भोजन योजना के उत्कृष्ट संचालन के लिए सम्बन्धित अध्यापकों को मध्यान्ह भोजन योजना सम्बन्धी अपने प्रभावी उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु उचित मार्गदर्शन एवं सामयिक गुणवत्तापरक प्रशिक्षण दिए जाने एवं वित्तीय व्यवस्था तथा आधारिक संरचना को सुदृढ़ किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

सन्दर्भ

1 भारत निर्माण सेवक मध्यान्ह भोजन योजना एक संक्षिप्त परिचय, प्रकाशन–दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान उ.प्र. लखनऊ– 22602 प्रथम संशोधित संस्करण, वर्ष– 2015, पृ.सं. 1 से 7A www.sirdup.in अभिगमन तिथि. 29.09.2016

2 Annual Status of Education Report (ASER) 2010.

3 Cart an assessment of the Mid-Day Meal Scheme. Pilot Study 5 Rajasthan, India: Centre for Consumer Action, 2007.

4 Dreze J, Goyal A. Future of Mid-Day Meals, Economic and Political Weekly, 2003; 38(44):4673-4683.

5 GCERT. Mid Day Meal Scheme, Research Abstract Series, Gujarat Council of Educational Research & training, 2007; 13:1-64.

6 Karunakaran N, Krishnaraji T. Impact of Mid-Day Meal Scheme (MDMS) on Nutritional-Level, Enrolment-Rate and Dropout-Rate of Primary School Children in Kerala: A Case Study, Journal of Economics and Social Development, 2015; XI (1): 61-70.

7 Khera R. Mid-Day Meals in Primary Schools: Achievement and Challenges, Economic and Political Weekly, 2006; 41(46):4742-4750.

8 Likert R. A Technique For the Measurement of Attitudes. Archives Psychology, 1932, 140.

9 Makwana NM, Karkar KK. Caste Category wise Proportion of Mid Day Meal Scheme Beneficiary Children, Mid Day Meal Scheme, Research Abstract Series, Gujrat Council of Educational Research & training, 2007; 13:5.

10 Nambiar V, Desai R. Knowledge Attitude Practice of School Teachers, Students and Mid Day Meal Staff Towards the Mid Day Meal Programme, Archives of Pharmacy and Biological Sciences, 2013; 1(1):1-9.

11 NP-NPSE. Guideline for Central Assistance under the National Programme for Nutritional Support to Primary, Department of School Education and Literacy; Government of India, 2006.

12 Planning Commission Performance Evaluation of Cooked Mid Day Meal Scheme, Programme Evaluation Organization of Planning Commission, 2010.

13 Robinson N. Visiting Madhya Pradesh; A Report on the Implementation of the Mid-Day Meal Scheme in Four District of Madhya Pradesh. Yale Fox Fellow at Jawaharlal Nehru University, 2007.

14 Sahi CS. Mid-Day Meal Scheme: Achievement and Challenges, International Journal of Humanities and Social Science Invention. 2014; 3(10):6-9.

15 Sarkar S, Bhattacharyya D. Attitude Teachers towards Mid-Day Meal, International Multidisciplinary Research Journal Research Direction, 2015; 3:1-5.

16 Shah LL, Mehta RS. A Study of Children's Sadness Towards MDM Scheme, Mid Day Meal Scheme, Research Abstract Series, Gujarat Council of Educational Research & training, 2007; 13:13.

17 Snigh S, Gupta N. Impact of Mid Day Meal on Enrolment, Attendance and Retention of Primary School Children, International Journal of Science and Research, 2015; 4(2):1203-1205.

18 Verma R. Mid Day Meal- Not a Sufficient Deal, International Journal of Advances in Management and Economics, 2013; 2(3):55-63.

Web Sources:

19 मध्यान्ह भोजन योजना (मिड डे मील) – विकासपीडिया http://hi.vikaspedia.in/education/policies- and-schemes Visited on Date 29-09-2016.

20 http://mdm.nic.in mid day meal Visited on Date 29-09-2016.

21 http://mhrd.gov.in/hi/mid-day-meal-hindi visited on 28-09-2016.

22 http://www.upmdm.org मध्यान्ह भोजन योजना एक परिचय अभिगमन तिथि– 25&09&2016